



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2(2)परावि/प्रशा.1/वि.अ/संस्था/स्था/पद./एपीओ/2018/1386 जयपुर, दिनांक:-

22-5-18

-:आदेश:-

श्री कृपाशंकर, शिक्षा विभाग से पूर्णतः तदर्थ आधार पर प्रतिनियुक्ति पर चयनित विकास अधिकारी का पदस्थापन तत्काल प्रभाव से आदेशों की प्रतीक्षा से पंचायत समिति टोडारायसिंह जिला टोंक में विकास अधिकारी के रिक्त पद पर किया जाता है।

श्री कृपाशंकर तत्काल अपनी उपस्थिति नव पदस्थापित स्थान पर प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(इकबाल खीन)

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त, अजमेर
7. जिला कलेक्टर, करौली, टोंक।
8. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद टोंक।
9. विकास अधिकारी पंचायत समिति टोडारायसिंह जिला टोंक।
10. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
11. सम्बन्धित अधिकारी को पालनार्थ।
12. आदेश पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)